प्रेसनोट

बैंक ऑफ इंडिया, शाखा मुरैना में 23 लाख का गबन

---

08 बैंक कर्मचारियों पर EOW ने एफआईआर की

ग्वालियर/भोपाल : शिकायतकर्ता – डिप्टी जोनल मैनेजर, बैंक ऑफ इण्डिया भोपाल द्वारा पुलिस अधीक्षक, ईओडब्ल्यू ग्वालियर को बैंक ऑफ इंडिया शाखा मुरैना (मध्य प्रदेश) में हुये वित्तीय अनियमितता के संबंध में शिकायत की गई थी, ईओडब्ल्यू मुख्यालय भोपाल द्वारा उक्त संबंध में शिकायत क्रमांक 73/20 दर्ज कर पुलिस अधीक्षक ईओडब्ल्यू ग्वालियर को जांच हेतु सौंपा गया था।

जांच में प्रथम दृष्टया पाया गया कि बैंक ऑफ इंडिया शाखा मुरैना में वर्ष 2013 से 2016 तक पदस्थ रहे अधिकारी/कर्मचारी हैड कैशियर महेन्द्र सिंह बाजौरिया सहित अन्य बैंक कर्मचारी गौरीशंकर राम, रूचि तिवारी, इन्द्रनाथ विश्वास, विकास शर्मा, विकास त्रिवेदी, विजय कुमार मेहता एवं सौरभ मिश्रा के द्वारा 08 खाताधारकों शहनाज बानो, सीमा, ज्ञानदेवी सागर एवं ज्योति खांन (संयुक्त खाता), श्रीकृष्ण माहौर, रामगोविंद कुलश्रेष्ठ, शांति देवी एवं नत्थीलाल के खातों से कुल राशि 23,09,450/–रू. का चार वास्तविक खातों एवं कूटरचित दस्तावेजों का उपयोग कर खोले गये चार फर्जी खातों में डालकर खाताधारकों की जानकारी के बिना कूटरचित व्हाउचरों के माध्यम से निकाल लिये गये।

मोडस ऑपरेंडी (कार्यप्रणाली) –

– आरोपियों ने वास्तविक ग्राहकों की आईडी का उपयोग कर उनकी जानकारी के बिना फर्जी बचत खातें खोले और कुछ ग्राहकों के वास्तविक खातों का उपयोग किया ।

– कुल 08 खाताधारकों की 11 एफडीआर को उनकी परिपक्वता अवधि 01 वर्ष से पूर्व ही बंद कर दिया गया ।

– एफडीआर बंद करने से प्राप्त राशि को फर्जी खातों और कुछ वास्तविक खातों में ट्रांसफर कर जाली व्हाउचरों के माध्यम से आहरित कर लिया गया ।

एफआईआर पंजीबद्ध – उक्त जांच में आपराधिक साक्ष्य पाये जाने पर आरोपी हैड कैशियर महेन्द्र सिंह बाजौरिया सहित अन्य बैंक कर्मचारी गौरीशंकर राम, रूचि तिवारी, इन्द्रनाथ विश्वास, विकास शर्मा, विकास त्रिवेदी, विजय कुमार मेहता एवं सौरभ मिश्रा के विरूद्ध ईओडब्ल्यू में भादवि की धारा 420, 409, 467, 468, 471, 120बी एवं भ्रनिअ 1988 संशो0 अधि0 2018 धारा 7 13(1)(क) सहपठित धारा 13(2) के तहत एफआईआर पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।